

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं  
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/

जयपुर, दिनांक:-

उप निदेशक  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त।

विषय :- पूरक पोषाहार वितरण के निरीक्षण के संबंध में।

संदर्भ :- समसंख्यक विभागीय आदेश क्रमांक-31247-79 दि. 07.04.14

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर पूरक पोषाहार (Take Home Ration) का वितरण लाभान्वितों को गुरुवार के दिन ही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आप जब भी अपने क्षेत्रीय भ्रमण पर जावें तो अपने भ्रमण कार्यक्रम में गुरुवार का दिवस आवश्यक रूप से सम्मिलित करें एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा वितरित किये जा रहे पूरक पोषाहार (Take Home Ration) का वितरण स्वयं की उपस्थिति में कराया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार आपके अधीन कार्यरत महिला पर्यवेक्षकों को भी उपरोक्तानुसार ही आदेश की पालना करने हेतु निर्देशित किया जावे।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

sd-  
(अरुण कुमार गुप्ता)  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं,  
राजस्थान जयपुर

जयपुर, दिनांक: 11.4.14

क्रमांक-एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया मासिक निरीक्षण हेतु आपको आवंटित जिलों में जब भी आप भ्रमण पर जावें तो भ्रमण कार्यक्रम में गुरुवार का दिवस आवश्यक रूप से सम्मिलित करें एवं अपनी उपस्थिति में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार का वितरण करावें एवं इस बात का उल्लेख अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में आवश्यक रूप से करें।
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरुण कुमार गुप्ता)  
अति.निदेशक (पोषाहार)